



WV

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दूरध्वाप 2286709  
2286710

नव गोला कला 10 ब्रह्मपुर मार्ग लालक 226001

पत्रांक 3775 / 035/76/एक/2013-14  
सेवा में

दिनांक 12 जनवरी 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कल्हीज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छूटा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना।  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को रिक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र रिक्षा चालकों के पंजीकरण/ ड्राइवरिंग लाइसेन्स/ रोड परमिट, फिटनेस एवं बीमा हेतु धनराशि छूटा के बाबत खाते में निम्नवत आनंदित करा दी गयी है।

(धनराशि रु. में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसरी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	4591000100037646	IFSC Code PUNB0459100	1814160

क्रमांक	विवरण	प्रति रिक्षा दर	रिक्षों की संख्या	प्रेषित धनराशि
01	रोड परमिट एवं रजिस्ट्रेशन फीस- 26400/- लाइसेन्स शुल्क (लिनिंग/स्थायी)- 280/- बीमा धनराशि (थर्ड पार्टी) - 3556/- शेयर 30236/-	30236/-	60	1814160.00

- 1- योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उक्तनुसार अंकित मदों में ही किया जाये अन्य मद में व्यय अनुमत्य नहीं होगा।
- 2- पात्र लाभार्थियों के बीमा हेतु प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराते हुये तथा उक्त अंकित मदों में धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों की सूची/व्यय की गयी धनराशि के मद सहित विवरण अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- 3- प्रेषित की जा रही धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि उक्त मदों में धनराशि की आवश्यकता है तो पृथक से प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
- 4- धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्तिकर्ता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवतीय  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री ए०क० उपाध्याय, सहा० परि० अधिकारी, सूडा।
- 3- कम्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।
- 4- श्री योगेश आदित्य, सहा०परि० अधिकारी, सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक